संख्याः 4145 /XV-1/10/ 1(17)/2009

प्रेषक,

विनोद फोनिया
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
बागेश्वर एवं नैनीताल।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 19 जनवरी, 2010

विषयः 12वें वित्त आयोग से धनराशि स्वीकृति किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–सी–237/लेखा–2 12वाँ वि०आ०/2009–10 दिनांक 6 नवम्बर, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पशुपालन विभाग की विभिन्न संस्थाओं के अनावासीय भवनों की मरम्मत/अनुरक्षण हेतु कुल **रूपया 2.29 लाख (रूपया दो लाख उन्नतीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यों हेतु धनराशि आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(7) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(9) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) अनुरक्षण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 15 फरवरी, 2010 तक उपलब्ध करा दिया जाये ताकि धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाय सके।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–7 के लेखाशीर्षक–2059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य–053–रखरखाव तथा मरम्मत–आयोजनेत्तर–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण–29 अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–181(N.P.)/वित्त अनुभाग–4/2009 दिनांक 14 जनवरी, 2010 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्याः 4145 (1) /XV-1/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर एवं नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर एवं नैनीताल।
7. अपर निदेशक, पशुपालन, गोपेश्वर चमोली को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग/पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
9. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन०आई०सी० को बेवसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव